

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.12(2)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांक: 18.01.2021

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 20 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बून्दी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरु, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर के 90 नगरीय निकायों के आम चुनाव जनवरी-फरवरी 2021 (प्रति संलग्न है) दिनांक 28.01.2021 (गुरुवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
उप मुख्य प्रोटोकाल अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
E-mail : secraj@rajasthan.gov.in, Ph./Fax : 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/2021/ 578

दिनांक : 19.01.2021

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(नगरपालिका) अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बून्दी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरु, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, नागौर, पाली, राजसमन्द, सीकर, टोंक एवं उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव